

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

करण संख्या: 131/2024/ सरफैसी

एस एम एफ जी इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड (पूर्व नाम फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय: थर्ड फ्लोर, नंबर 307, मेघ टॉवर, पी.एच. रोड, मधुरावोयल, चेन्नई कॉर्पोरेट कार्यालय: 5 व 6, "बी" बिंग, सुप्रीम बिजनेस पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवई मुम्बई-400076, शाखा कार्यालय- केसर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट न. 115-ए, अपेक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर 302015

.....प्रार्थी

नाम

1. लक्ष्मीराम डांगी पुत्र चैनराम डांगी निवासी- भल्लो का गुडा, पंचायत भवन के पास उदयपुर राजस्थान 313024 एवं प्लॉट न. 20 व 21, राजस्व ग्राम- भागतलाई, सत्यम विहार प्रथम, पटवार हल्का- साकरोदा, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर 313004
2. मांगी डांगी निवासी-भल्लो का गुडा, पंचायत भवन के पास उदयपुर राजस्थान 313024
3. प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, पता- प्लॉट न. 20 व 21, ग्राम- भागतलाई, सत्यम विहार प्रथम, पटवार हल्का- साकरोदा, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर 313004
4. किशनलाल डांगी पुत्र बापूलाल डांगी निवासी-भल्लो का गुडा, जिला-उदयपुर राजस्थान 313024

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री दीपक भट्ट अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21-10-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 30,94,692/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (प्लॉट न. 20 व 21, राजस्व ग्राम- भागतलाई, सत्यम विहार प्रथम, पटवार हल्का- साकरोदा, तहसील-गिर्वा, खसरा नम्बर 2158/1, 2157, 2159, 2180, 2178/4981 जिला उदयपुर राजस्थान 313004 में लक्ष्मीराम डांगी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति है, उक्त दोनो सम्पत्तियों का कुल क्षेत्रफल 1115 वर्गफीट है। जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व में प्लॉट न. 22, पश्चिम में प्लॉट न. 19, उत्तर में रोड व दक्षिण में अन्य भूमि स्थित है।) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान

जिला कलक्टर
उदयपुर

करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 18.03.2024 तक 31,72,540/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 30,94,692/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 18.03.2024 तक 31,72,540/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर दिचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (प्लॉट न. 20 व 21, राजस्व ग्राम— भागतलाई, सत्यम विहार प्रथम, पटवार हल्का— साकरोदा, तहसील—गिर्वा, खसरा नम्बर 2156/1, 2157, 2159, 2160, 2176/4981 जिला उदयपुर राजस्थान 313004 में लच्छीराम डांगी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति है, उक्त दोनो सम्पत्तियों का कुल क्षेत्रफल 1115 वर्गफीट है। जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व में: प्लॉट न. 22, पश्चिम में: प्लॉट न. 19, उत्तर में: रोड व दक्षिण में अन्य भूमि स्थित है।) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर